

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलकत्तर, नीम का बाना
 उनवान। सुरेन्द्र सिंह बनाम तहसीलदार डक्यपुरवाडी
 क्रि.सं. 1- प्रार्थना-पत्र (रजसूत्र) : मुं.नं. 103/2024

| | | |
|---------------|--|---|
| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज शां.पत्र 3/2024 | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|---------------|--|---|

24/7/24

पत्रावली पेग हुई। पकील प्रार्थी उपरोक्त पकील प्रार्थी कि वहल फनी गई। पकील प्रार्थी कि वहल पर मनन किया गया एवं पत्रावली पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का मवलोरन दिया गया। पत्रावली में उपलब्ध अधिनियम न्यायालय द्वारा चारित निधि की उति का मवलोरन दिया गया। जिससे मवलोरन ले पाया गया कि प्रार्थी भूमि खं. नं. 407 तन ग्राम मणकुवाल तहसील डक्यपुरवाडी रकबा 0.55 है। खजस में 62.4 है। कमीय में ईधे की उमान बनाकर कतिउमण कलापा है। प्रार्थना पत्र में निव्त्तारण के लमथ- न्यायालय को यह डेक्ना है कि स्या प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दुव्या मामल सुविधा का अनुलग व म्पूणीय सति के बिन्दु बनते हैं अथवा नही। उव्येउ बिन्दु पर विवेचन निम्न उकार है।



1. प्रथम दुव्या मामल :- पत्रावली व पत्रावली में उव्येउ रिकार्ड के मवलोरन ले पाया गया कि प्रार्थी विवादित भूमि का जवाबदार नही है। विवादित भूमि राजकीय भूमि है। जिल पर प्रार्थी द्वारा मनाधिकृत रूप ले अतिउमण कर रखा है। जिल उले कोई अधिकार नही है। प्रथम दुव्या मामल डेक्ने के लिह कला होना आवश्यक है। परन्तु प्रार्थी द्वारा जा कला कर रखा है बट राजकीय भूमि है। रिकार्ड जवाबदार व राजकीय भूमि पर अल्यामी निवेधाशा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड ले व राजकीय भूमि पर अतिउमण कर ले प्रथम दुव्या मामल प्रार्थी के पक्ष में बनना नही पाया जाता है।

2. सुविधा का अनुलग :- जहाँ तक इस बिन्दु का प्रश्न है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र ड्वीकारकले कि दशा में ज्यादा सुविधा प्रार्थी को होगी। म्पोडि विवादित भूमि प्रार्थी कि जवाबदारी कि ना होकर राजकीय भूमि है। इस लिह इस डेक् पर सुविधा का अनुलग प्रार्थी के पक्ष में होना नही पाया जाता है।

3. म्पूणीय सति का लि डर :- जहाँ तक इस बिन्दु




(अनिल कुमार)
 अतिरिक्त जिला कलकत्तर

| | | |
|---------------|-----------------------------------|---|
| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|---------------|-----------------------------------|---|

का प्रश्न है कि शर्चना पत्र अर्जीकार मिल जाने
 कि दशा में प्राची को कोई विधिबु दानी ना
 होकर मिली अप्रणीय शक्ति के कारित होने की
 लम्भावना नहीं है। स्पोजि ग्राम राजकीय है। गं
 प्राची स्वयं स्वकीकार करने का रहे है। एवं उद्यत
 रिफाई ले भी स्पष्ट है।
 इस प्रकार प्राची अपने पत्र
 में प्रथम दुल्घा मामला दुविधा का ल-उलन
 व अप्रणीय शक्ति के बिन्दु लाबित कले में
 सफल रहा है।
 मत! उपरोक्त विवेचन के आधार
 पर प्राची अपने शर्चना पत्र को लाबित कले
 में सफल रहा है। मत! प्राची का शर्चना पत्र
 वाबत लम्हान खारीज किया जागा है पिण्डु.
 पत्रावली फलत शुभार होमर नम्बर
 के रूप होकर दाखिल दफ्तर हो।




 (अनिल कुमार)
 अतिरिक्त जिला कलेक्टर
 नीमकाथाना

